

प्रेस नोट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर दिनांक 20.07.2024

नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी व आवासित घर में चोरी करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के आभूषण बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी/चोरी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ के नेतृत्व में 30नि0 अवधेश पाण्डेय मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 390/2024 धारा 420,504,506,380 भादवि से संबंधित वाछिंत अभियुक्त विशाल उर्फ मृत्युंजय सेन को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से चोरी के आभूषण बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.05.2024 को थाना स्थानीय पर तहरीर प्राप्त हुआ कि अभियुक्तों द्वारा वादी व वादी के परिचित से नौकरी व जमीन दिलाने के नाम पर रुपये लेना व नौकरी न मिलने पर अपने रूपया वापस मांगने पर गाली गुफ्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देना तथा दिनांक 18.05.2024 को अभियुक्त द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी के पत्नी के आभूषण चोरी कर लेने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विशाल उर्फ मृत्युंजय सेन पुत्र चुन्नीलाल निवासी जगेशर पासी चौराहा हुमायूँपुर उत्तरी थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 390/2024 धारा 420,504,506,380,411 भादवि थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

चोरी के आभूषण

गिरफ्तारी की टीम-

- 30नि0 अवधेश पाण्डेय चौकी प्रभारी जटेपुर उत्तरी थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
- प्रशि0 30नि0 अनुराग सिंह थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
- कां0 शिवओम शुक्ला थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
- कां0 रविशंकर राम थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर